न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र.

जमानत आवेदन क्रमांक 345/2022
पुलिस थाना खनियाधाना का अप0क्र0 558/2022

राकेश पुत्र मेहरवान केवट आयु 22 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम मुहारीकलां थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी
.....**आवेदक**

विरूद्ध

म0प्र0राज्यद्वारा आरक्षीकेंद्र, खनियाधानाजिला शिवपुरी,म0प्र0
.....**अनावेदक**

14.10.2022

आवेदक/अभियुक्त राकेश द्वारा श्री महेंद्र मोदी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश द्विवेदी उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र धारा 439 द.प्र.सं. पर सुनवायी हेतु नियत है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

पुलिस थाना खनियाधाना से अप0क्र0 558/2022 अंतर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 की केसडायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त ने आवेदन एवं तर्क के माध्यम से निवेदन किया है कि पुलिस थाना खनियाधाना ने आवेदक/अभियुक्त को अकारण अप0क्र0 558/2022 अंतर्गत धारा 376 भा0 दं0 सं0 में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है, जबकि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, फरियादिया के पति महेंद्र से चुनावी रंजिश होने के कारण फरियादिया ने झूॅठी रिपोर्ट की है, फरियादिया 24 वर्ष की आयु की होकर उसके दो बच्चे हैं, उनके मध्य राजीनामा हो गया है, दोनों ही एक ही परिवार के हैं भाई–भाई लगते हैं, आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.10.2022 से निरोध में है, यदि आवेदक को न्यायालय द्वारा जमानत पर उन्मुक्त किया जाता है तो वह न्यायालय के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा, अतः जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही फरियादिया का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उसके परिवार का जेठ है, एक ही बाखर में निवास करते हैं, यदि न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, यह शपथपत्र वह स्वेच्छया से बिना किसी दबाव के दे रही है।

आवेदक की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत आवेदन पत्र सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में न तो प्रस्तुत किया है, न ही निरस्त हुआ है और न विचाराधीन है तथा समर्थन में अखिलेश का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त संबंध में ए.जी.पी. द्वारा कोई खण्डन नहीं किये जाने से उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सत्य मान्य किये जाते हैं।

अनावेदक/राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा फरियादिया का पीछा कर उसके साथ जबरदस्ती कर उसके साथ बलात्कार किया गया है और अभियोजन की ओर से तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा फरियादिया पर राजीनामा करने हेतु उसे डरया एवं धमकाया जा रहा है, जिससे डरकर फरियादिया की ओर से आवेदक की जमानत लिए जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

केसडायरी का परिशीलन किया गया। केसडायरी के परिशीलन से दर्शित है कि पीड़िता/फरियादिया ने दिनांक 08.10.2022 को पुलिस थाना खनियाधाना में इस आशय की रिपोर्ट की कि 07.10.2022 के रात्रि 8 बजे वह अपने घर शौंच के लिए जा रही थी, पीछे से राकेश केवट आया और उसे बुरीनियत से हाथ पकड़ कर ले गया, जबरदस्ती उसे पटक कर उसके साथ बलात्कार किया, वह चिल्लाया तो उसका जेठ जितेंद्र आ गया, राकेश उसे छोड़ कर भाग गया, उसका पति मूंगफली की गाड़ी लेकर खाली करने करैरा गया था, जब वह आया तो उसने उसे पूरी बात बताई और फिर उसके साथ रिपोर्ट करने आई है, उक्त रिपोर्ट पर से अप0क0 558/2022 अंतर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना के दौरान फरियादिया की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया एंव पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन न्यायालय पिछोर में कराये गये। विवेचना के दौरान **आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 09.10.2022 को गिरफ्तार किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में है।**

फरियादिया द्वारा अपने धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथनों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा फरियादिया जब वह रात्रि 8:00 बजे शौंच करने जा रही थी, उसका पीछा कर हाथ पकड़कर उसके साथ बलात्कार करना बताया है, साथ ही अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर फरियादिया एवं उसके परिजनों को डरा धमकाकर राजीनामा के लिए दबाव डाले जाने, साक्ष्य को प्रभावित किये जाने एवं अभियुक्त के फरार होने की आशंका व्यक्त की गई है, प्रकरण में अभी एफ0एस0एल0 रिपोर्ट आना शेष है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं आरोपी द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की अभियोजन द्वारा व्यक्त की गई संभावना, प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता एवं आरोपी के द्वारा जमानत दिये जाने पर साक्ष्य प्रभावित किये जाने की आशंका को देखते हुये प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दप्रसं निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केसडायरी वापस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर क्रमांक से कम कर नियत समय में अभिलेखागार में जमा हो।

(आर.एम.भगवती)
अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर
जिला शिवपुरी म.प्र

RAMESH KUMAR MURARI LAL BHAGWATI

Digitally signed by RAMESH KUMAR MURARI LAL BHAGWATI
Date: 2022.10.14 16:50:16 +0530